समक्ष: जसबीर सिंह और रामेश्वर सिंह मलिक माननीय न्यायमूर्ति

बनवारी लाल और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2006 का सीआरए.579-डीबी

नवम्बर 5,2012

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302, 201 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 307 - 'अनुमोदनकर्ता' 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य' - अपीलकर्ता पर हत्या का मुकदमा - एक आरोपी ने धारा 307 सीआरपीसी के तहत क्षमा मांगी - अपीलकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया - अपील दायर की गई - माना गया, अत्यधिक देरी से गंभीर संदेह पैदा होता है - अंतिम बार देखे गए साक्ष्य साबित नहीं हुए - अनुमोदनकर्ता के साक्ष्य कमजोर प्रकार के साक्ष्य हैं - पुष्टि के बिना उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता - घटनाओं की श्रृंखला पूरी नहीं हुई - अपीलकर्ता बरी हो गए।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब शिकायतकर्ता का पति उस रात और अगले दिन भी घर नहीं लौटा, तो उसने निश्चित रूप से मामले की सूचना अपने जेठ या पुलिस या अपने माता-पिता सहित किसी अन्य रिश्तेदार को दी होगी। शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई कहानी और उसका बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि 11.2.2001 को एफआईआर दर्ज होने से पहले उससे इतने लंबे समय तक चुप रहने की उम्मीद नहीं थी, जो उसके पति के शव की बरामदगी के बाद ही दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक और लंबी देरी अस्पष्ट रही जो अभियोजन के मामले में गंभीर संदेह पैदा करती है।

(पैरा 16)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में लगाए गए आखिरी बार देखे गए सबूत साबित नहीं हुए हैं। विजय सिंह (मृतक का भाई) ने आखिरी बार देखे गए सबूतों के बारे में पुलिस के सामने कुछ भी नहीं कहा जब उसका बयान दर्ज किया गया था या अदालत के सामने जब वह पीडब्लू 1 के रूप में पेश हुआ था।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुमोदक का साक्ष्य एक सप्ताह का साक्ष्य है। इस कारण अनुमोदक कानूनी बाध्यता के अधीन है।

सामग्री विवरण पर विश्वसनीयता के साथ-साथ पुष्टिकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करना। अनुमोदनकर्ता उचित संदेह की छाया से परे अदालत में अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए बाध्य है। जब तक कोई अनुमोदक भरोसेमंद नहीं पाया जाता और उसके बयान की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक अनुमोदक के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

(पैरा 20)

इसके अलावा, यह भी कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि जब भी कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो अभियोजन पक्ष पर घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करके अपने मामले को साबित करने का भारी बोझ होता है, ताकि आरोपी की सजा को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर बरकरार रखा जा सके। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभियोजन पक्ष मकसद या आखिरी बार देखे जाने के अलावा वसूली और अत्यधिक लंबी देरी के संबंध में अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। घटनाओं का सिलसिला भी पूरा नहीं हुआ है.

(पैरा 23)

विनोद घई, वरिष्ठ अधिवक्ता, रवीन्द्र सिंह, अधिवक्ता, पी.आर. यादव, अधिवक्ता।

क्षितिज शर्मा, सहायक ए.जी., हरियाणा।

रमेश वार सिंह मलिक जे.

(1) वर्तमान अपील दिनांक 13.7.2006 के फैसले के खिलाफड निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में 'आईपीसी') के साथ पढ़ी गई धारा 302/201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, और तदनुसार आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

(2) तथ्य पहले। श्रीमती गुड्डो उर्फ कृष्णा, मृतक सुमेर सिंह की पत्नी ने पुलिस के समक्ष अपना बयान (एक्स. पीएल) दर्ज करवाकर, आपराधिक कानून को गति दी। इंदरपाल एसआई/एसएचओ, जय पाल सिंह एसआई, चंद्रभान हेड कांस्टेबल नंबर 40, मीर सिंह यूजीसी, राजेंदर सिंह यूजीसी और सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल के साथ, एक सरकारी जीप नंबर एचआर-35-1377, जो सतीश कुमार कांस्टेबल दवारा चलाई जा रही थी, में सवार थे। दिनांक 11.2.2001 को लगभग शाम 5 बजे गश्त ड्यूटी के समय श्रीमती गुड्डो उर्फ कृष्णा, जो अपने जेठ (अपने पति के बड़े भाई) अर्थात् विजय सिंह, निवासी गांव मांडी के साथ आई थी, आई और अपना बयान (एक्स. पीएल) दर्ज करवाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह उक्त गांव की निवासी थी और एक घरेलू महिला थी। दिनांक 4.2.2001 को वह अपने पति सुमेर सिंह के साथ अपने घर पर मौजूद थी। शाम करीब छह बजे लाला उर्फ विजय सिंह पुत्र रणजीत सिंह, सेठी उर्फ लक्ष्मण पुत्र लीला राम और कवि उर्फ सतनारायण पुत्र इंदर सिंह जाति अहीर निवासी गांव मांडी जो शिकायतकर्ता के परिचित थे, उनके पास आए, घर पहुंचे और अपने पति सुमेर सिंह को घर से बाहर आने को कहा। उसके पति ने उससे कहा कि वह खाना बना दे और वह कुछ देर बाद वापस आ जायेगा। उसने खाना बनाया लेकिन उसका पति 11/12 बजे तक नहीं लौटा। इंतजार करने के बाद वह सोने चली गई लेकिन उसका पति अगली सुबह भी वापस नहीं आया। दिनांक 5.2.2001 को प्रातः लगभग 11:00 बजे आरोपी कवि उर्फ सतनारायण उससे मिला और उसने उससे अपने पति के बारे में पूछा, जो शाम को चला गया लेकिन घर नहीं लौटा। आरोपी कवि उर्फ सतनारायण ने उसे बताया कि उसका पति सुमेर सिंह गुजरात गया है और दो-चार दिन में लौट

आएगा। हालाँकि, जब उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया तब तक उनका पति वापस नहीं लौटा। उन्होंने आगे बताया कि आज यानि 11.2.2001 को बीर सिंह पुत्र दीन दयाल का कुएं में नग्न अवस्था में शव मिला था। सूचना पाकर वह अपने जेठ विजय सिंह और जेठानी राजेश देवी के साथ बीर सिंह के कुएं पर पहुंची। उसने, जेठ और जेठानी ने शव देखा, जिसे कुएं से निकालकर वहां रखा गया था। शव की पहचान उसने, जेठ और जेठानी ने अपने पति सुमेर सिंह के रूप में की, क्योंकि उसके पति के बाएं हाथ की छोटी उंगली में चार अंगुलियां थीं। उनके पति के दाहिने हाथ पर ॐ का चिन्ह (टैटू के रूप में) खुदा हुआ था। पति के पैरों के अंगूठे पर धागा बंधा हुआ था। उसने शव की बारीकी से जांच की तो उसकी पहचान उसके पति के शव के रूप में हुई। उसे पूरा संदेह था कि उसके पति की हत्या विजय सिंह, लक्ष्मण और सतनारायण ने की है और उसका शव बीर सिंह के कुएं में फेंक दिया है। हत्या के पीछे मकसद यह था कि बनवारी (आरोपी विजय सिंह का भाई) ने उसके जेठ भवानी सिंह के बेटे जितेंद्र के खिलाफ लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इंद्रपाल एसआई/एसएचओ, थाना सदर नारनौल द्वारा गुड्डो उर्फ कृष्णा के उपरोक्त बयान दर्ज करने के बाद उसे पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने इसे सुना और इसे सही मानते हुए, इसकी सत्यता के प्रतीक के रूप में हिंदी में अपने हस्ताक्षर किए। बयान से धारा 302,201, 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने का मामला बनना पाया गया। तदनुसार, कांस्टेबल सुरिंदर सिंह 306 के माध्यम से पुलिस स्टेशन को एक लेख भेजा गया और निर्देश दिया गया कि मामला दर्ज करने के बाद, एफआईआर का नंबर सूचित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारियों और इलाक़ा मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजी जाये। वह अपने सह-कर्मचारियों और शिकायतकर्ता के साथ उसके जेठ विजय सिंह के साथ घटना स्थल मंडी के लिए रवाना हुए। उपर्युक्त बयान के आधार पर, एमएचसी ओम प्रकाश-पीडब्ल्यू4 द्वारा औपचारिक एफआईआर (एक्स. पीएल/2) दर्ज की गई थी। एफआईआर नंबर 39 दिनांक 11.2.2001 की प्रति उसी कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के माध्यम से जांच के लिए एस एच ओ को भेजी गई थी। एफआईआर और विशेष रिपोर्ट की प्रतियां कांस्टेबल नरेश कुमार पीडब्लू-7 के माध्यम से इलाक़ा मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गईं।

(3) जांच की गई। घटना स्थल पर इंद्रपाल एसआई/एसएचओ पहुंचे। उन्होंने जांच कार्यवाही का संचालन किया। पीडब्लू विजय सिंह, भवानी सिंह, नरेंद्र और राम चंदर के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। शव को सामान्य अस्पताल नामौल भेज दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रार्थना पत्र कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को सौंपा गया। इसके बाद एसआई इंद्रपाल ने नामौल आकर शव को कुएं से बाहर निकालने वाले पीडब्लू बिष्णु बाल्मीकि का बयान दर्ज किया। 12.2.2001 को एसआई इंद्रपाल फिर से गांव मांडी गए और कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह का बयान दर्ज किया। 12.2.2001 को इंस्पेक्टर शीशपाल सिंह ने गांव मांडी का दौरा किया और इंद्रपाल एसआई/एसएचओ द्वारा की गई जांच का सत्यापन किया। इंस्पेक्टर शीशपाल की मौजूदगी में एसआई इंद्रपाल द्वारा रफ साइट प्लान तैयार किया गया। 13.2.2001 को शीशपाल इंस्पेक्टर ने जरावाली और नरेन्द्र सरपंच का बयान दर्ज किया। दिनांक 15.2.2001 को उन्होंने अभियुक्त लक्ष्मण, कवि उर्फ सतनारायण तथा विजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर, तीनों आरोपियों ने अपने खुलासे बयान दिए एक्स पीकयू, एक्स पीआर और एक्स पीएस। दिनांक 24.2.2001 को आरोपी बनवारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर उन्हें एक खुलासा बयान भी मिला। अपने प्रकटीकरण बयानों के अनुसार, सभी आरोपियों ने घटना स्थल की पहचान की। चिन्हित स्थानों का कच्चा स्थल प्लान भी तैयार किया गया। जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इंद्रपाल एसआई/एसएचओ द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आरोपियों को प्रासंगिक दस्तावेज मुहैया कराए गए। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध को विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया।

(4) प्रथम दृष्टया मामला बनता पाए जाने पर, आरोपी के खिलाफ धारा 302,201 सहपठित धारा 341 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप तय किया गया। अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया।

(5) जब मामला अभियोजन साक्ष्य के लिए तय किया गया था, तो आरोपी कवि उर्फ सतनारायण ने 23.10.2002 को धारा 307 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें क्षमा की मांग की गई। आरोपी कवि उर्फ सतनारायण द्वारा 5.12.2002 को एक अन्य आवेदन दायर किया गया

था, जिसमें इस आधार पर उसकी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी कि उसे अपने तीन सह-अभियुक्तों के हाथों अपने जीवन को खतरा होने की आशंका है। उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दिनांक 24.5.2003 के आदेश के तहत धारा 3 07 सीआरपीसी के तहत उनके आवेदन को अनुमति दे दी गई, जबकि लाला उर्फ विजय, सेठी उर्फ लक्ष्मण और बनवारी के अन्य आवेदन खारिज कर दिए गए।

(6) अपने मामले को साबित करने की दृष्टि से, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अलावा, 15 पीडब्लू की जांच की। अभियोजन साक्ष्य के निष्कर्ष पर, अभियुक्तों के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। अभियुक्त ने झूठा फंसाने का आरोप लगाया और पूरी तरह से निर्दोष होने का दावा किया। बचाव साक्ष्य का नेतृत्व करने का विकल्प चुनते हुए, आरोपी ने 7 डीडब्ल्यू की जांच की।

(7) दोनों पक्षों को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 13.7.2006 को अपने दोषसिद्धि के फैसले में बनवारी लाल, लाला उर्फ विजय और सेठी उर्फ लक्ष्मण नामक आरोपियों को, आईपीसी की धारा 302, 201 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए, दोषी ठहराया। सजा के आदेश दिनांक 15.7.2006 के तहत तीनों दोषियों को निम्नानुसार सजा सुनाई गई:-

अपराध वाक्य:

धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी= में कठोर आजीवन कारावास और 5000/- प्रत्येक मुजरिम जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी।

धारा 201 सहपठित धारा 34 आईपीसी= में तीन वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रुपये का प्रत्येक मुजरिम जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह के लिए अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(8) हालाँकि, सभी सजाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया गया था।

(9) दोषसिद्धि के आक्षेपित फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने तत्काल अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस प्रकार, यह न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

(10) अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि सबसे पहले, एफ़आईआर दर्ज करने में अत्यधिक और अस्पष्ट देरी हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि विजय सिंह पुत्र कंवर सिंह और भवानी सिंह पुत्र रामोटार न तो बनवारी लाल अपीलकर्ता नं.1 का नाम लिया और न ही अंतिम साक्ष्य के संबंध में कुछ कहा। इस संदर्भ में, उनका यह भी कहना है कि जब तक डॉक्टर दिनेश पोदार पीडब्लू3 को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ एक्स पीओ/1, सुमेर सिंह (मृतक) के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए दिनांक 12.2.2001 को प्रातः 10:10 बजे पूछताछ पत्रों के साथ, अंतिम बार देखे जाने की कथित कहानी न बनाई गई। विजय सिंह पीडब्लू1 (मृतक का भाई), अदालत में पेश होने के दौरान भी न तो बनवारी लाल के बारे में और न ही कथित अंतिम बार देखे गए साक्ष्य के बारे में कुछ कहते हैं।

(11) अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि कथित प्रकटीकरण बयानों के अनुसार, किसी भी अपीलकर्ता से किसी भी प्रकार की कोई वसूली नहीं की गई। पीडब्लू15 कवि @ सतनारायण, जो सरकारी गवाह बन गया, न तो विश्वसनीय था और न ही उसके बयान की पुष्टि की गई थी। अभियोजन पक्ष के मामले में कई बड़ी विसंगतियां और विरोधाभास थे जो मामले की जड़ तक जाते हैं, जिससे अभियोजन संस्करण में गंभीर संदेह पैदा होता है, क्योंकि यह एक मनगढ़ंत कहानी पर आधारित था। उन्होंने यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत दिए बिना दोषी ठहराने में कानून की गंभीर त्रुटि करते हुए खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया है, इसलिए लागू किया गया निर्णय कानून में टिकाऊ नहीं था।

(12) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सफलतापूर्वक अपराध सिद्ध कर दिया है। अभियोजन पक्ष के मामले में कोई विरोधाभास और विसंगतियां तो दूर गंभीर विरोधाभास भी नहीं थे। घटनाओं की शृंखला विधिवत पूरी हो चुकी है और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को ठोस कारण बताते हुए दोषी ठहराते हुए रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों की सही सराहना की है। वह अपील खारिज करने की प्रार्थना करता है।

(13) दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और समझौते का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

(14) दोनों पक्षों की ओर से उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद और वर्तमान मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस बात पर सहमत है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित है और इसे रद्द किया जा सकता है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। कहने को तो कारण एक से अधिक हैं, जिन्हें आगे दर्ज किया जा रहा है।

(15) सबसे पहले, यह इस कारण से अपील नहीं करता है कि शिकायतकर्ता कथित घटना और मामले के पंजीकरण के बीच लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से चुप क्यों रहा। कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। यह अभियोजन पक्ष का अपना स्वयं का मामला है, जैसा कि पीडब्ल्यू 2 कृष्णा देवी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि वह अपने जेठ (अपने पति के बड़े भाई) के साथ दुश्मनी के कारण अपीलकर्ताओं के साथ बातचीत नहीं कर रही थी। अभियोजन का अगला मामला यह है कि लाला उर्फ विजय सिंह, सेठी उर्फ लक्ष्मण, 4.2.2001 को शाम लगभग 6 बजे उसके आवास पर आये और उसके पति को भी अपने साथ ले गए। अपीलकर्ता विजय सिंह और लक्ष्मण के साथ जाते समय, उसके पति सुमेर सिंह-मृतक ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसे भोजन तैयार करना चाहिए और वह जल्द ही घर लौट आएगा।

(16) जब शिकायतकर्ता का पति उस रात और अगले दिन भी घर नहीं लौटा, तो उसने निश्चित रूप से मामले की सूचना अपने जेठ या पुलिस या अपने माता-पिता सहित किसी अन्य रिश्तेदार को दी होगी। शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई कहानी और उसका बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि 11.2.2001 को एफआईआर दर्ज होने से पहले उससे इतने लंबे समय तक चुप रहने की उम्मीद नहीं थी, जो उसके पति के शव की बरामदगी के बाद ही दर्ज की गई थी। एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक और लंबी देरी अस्पष्ट रही जो अभियोजन के मामले में गंभीर संदेह पैदा करती है।

(17) दूसरे, अभियोजन पक्ष द्वारा सेवा में लगाए गए अंतिम देखे गए साक्ष्य साबित नहीं हुए हैं। विजय सिंह (मृतक का भाई) ने आखिरी बार देखे गए सबूतों के बारे में पुलिस के सामने कुछ भी नहीं कहा जब उसका बयान दर्ज किया गया था या अदालत के सामने जब वह पीडब्लू 1 के रूप में पेश हुआ था। इसी तरह, जब भवानी सिंह का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया गया तो उन्होंने आखिरी बार देखे गए सबूतों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अदालत के सामने पेश होते हुए उन्होंने अपने बयान में भौतिक सुधार करने की कोशिश की। इस प्रकार, अंतिम बार देखा गया साक्ष्य भी अभियोजन द्वारा विधिवत साबित नहीं किया गया है।

(18) यह ध्यान रखना भी उतना ही प्रासंगिक है कि शिकायतकर्ता ने अधिकतम संख्या में आरोपियों को फंसाने की कोशिश की। जांच एजेंसी ने खुद आरोपी विक्रम को निर्दोष पाया। यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत भी आवेदन दिया गया। दिनांक 13.8.2002 के आदेश के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने उपरोक्त उल्लिखित पूर्व एफआईआर संख्या 257/2000 दिनांक 18.12.2000 के पंजीकरण के कारण दुश्मनी के कारण अधिकतम लोगों को झूठा फंसाने का असफल प्रयास किया है। कुएं से शव की बरामदगी के समय अभियोजन पक्ष के गवाहों ने खुद का खंडन किया है। इस संबंध में विसंगतियां इतनी गंभीर हैं कि इन्हें सुलझाया नहीं जा सकता और अभियोजन की कहानी में गंभीर संदेह पैदा होता है।

(19) यह भी उल्लेखनीय है कि विष्णु कुमार, जिसने कथित तौर पर मृतक के शव को कुएं से बाहर निकाला था, को अभियोजन पक्ष को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से गवाह बॉक्स में पेश नहीं किया गया। राजेश देवी, जो कथित तौर पर शिकायतकर्ता के साथ बीर सिंह के कुएं पर गई थी, से भी पूछताछ नहीं की गई है। गवाहों की सूची में गवाह के रूप में उद्धृत किए जाने के बावजूद इन दो महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि वे उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

(20) कवि @सतनारायण एक अन्य आरोपी था जो सरकारी गवाह बन गया। हालाँकि, पीडब्लू15 के रूप में उनके बयान का बारीकी से अध्ययन करने से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि न तो वह एक विश्वसनीय गवाह था और न ही उसके बयान की पुष्टि की गई है। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस अनुमोदक, पीडब्लू15 के बयान के आधार पर अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं है। अनुमोदक का साक्ष्य एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है। इस कारण से, अनुमोदक विश्वसनीयता की परीक्षा के साथ-साथ सामग्री विवरण पर पुष्टिकरण को पारित करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है। अनुमोदनकर्ता उचित संदेह की छाया से परे अदालत में अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए बाध्य है। जब तक कोई अनुमोदक भरोसेमंद नहीं पाया जाता और उसके बयान की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक अनुमोदक के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा।

(21) इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***निरंजन सिंह बनाम पंजाब राज्य***[1] के फैसले से भी समर्थन मिलता है। माननीय सर्वोच्च द्वारा फैसले के पैरा 11 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियां का वर्तमान मामले में लाभप्रद रूप से पालन किया जा सकता है, और वे इस प्रकार पढ़ा जाए:

"11 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुमोदनकर्ता के साक्ष्य को भौतिक विवरण में विश्वसनीयता और पुष्टि की दोहरी परीक्षा से गुजरना होगा। कहा जाता है कि अनुमोदनकर्ता सबसे अयोग्य मित्र है और उसने अपनी प्रतिरक्षा के लिए सौदेबाजी की है, उसे अदालत में विश्वसनीयता के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी। सबसे पहले हमें सरकारी गवाह गुरजंत सिंह (पी.डब्लू.3) के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसके साक्ष्यों को भरोसेमंद माना जा सकता है। दूसरा, एक बार जब वह बाधा पार हो जाती है तो एक अनुमोदक द्वारा दी गई कहानी, जहां तक मुकदमे में आरोपी का संबंध है, उसे इस तरह से फंसाना चाहिए कि उचित संदेह से परे अपराध के निष्कर्ष को जन्म दिया जा सके। आमतौर पर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 और 114 का संयुक्त प्रभाव यह है कि दोषसिद्धि किसी अनुमोदनकर्ता की अपुष्ट गवाही पर आधारित हो सकती है, लेकिन विवेक के नियम के रूप में किसी अनुमोदनकर्ता की अपुष्ट गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित है। धारा 114 खण्ड (बी) में

[1] (1996) 9 एस सी सी 98।

*सावधानी का एक नियम शामिल है जिसका अदालतों को ध्यान रखना चाहिए। **सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य**[2] को पढ़ा जाए ।*

(22) इसके अलावा, वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था.।मृतक की मृत्यु की तारीख और समय केवल एक अनुमान था। यहां तक कि पीडब्लू 3-डॉ. दिनेश पोद्धार, जिन्होंने सुमेर सिंह (मृतक) के शव का पोस्टमार्टम किया, ने अपनी जिरह में कहा कि मृतक की मृत्यु 9.2.2001 को हुई होगी, जबकि वह 4.2.2001 की शाम को अपीलकर्ताओं के साथ गया थे। उनका शव दिनांक 11.2.2001 को बीर सिंह के कुएं में मिला था। इस मामले में अभियोजन पक्ष अंतिम बार देखे गए साक्ष्य को साबित करने में विफल रहा है।

(23) कानून का यह स्थापित प्रस्ताव भी है कि जब भी कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो अभियोजन पक्ष पर घटनाओं की श्रृंखला को पूरा करके अपने मामले को साबित करने का भारी बोझ होता है, ताकि आरोपी की सजा को परिस्थितिजन्य साक्ष्य का आधार पर बरकरार रखा जा सके। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष मकसद या आखिरी बार देखे जाने के अलावा वसूली और अत्यधिक लंबी देरी के संबंध में भी अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। घटनाओं का सिलसिला भी पूरा नहीं हुआ है। अभियुक्तों द्वारा कथित रूप से प्रकट किए गए प्रकटीकरण बयानों के अनुसार कोई वसूली नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि पीडब्लू 15 ने अदालत के समक्ष कहा है कि अपीलकर्ता लक्ष्मण और विजय सिंह ने एक केबल तार का इस्तेमाल किया और उसे सुमेर सिंह की गर्दन के चारों ओर डाल दिया। 'उन्होंने केबल के तार को कस दिया जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, बिना किसी परिणामी वसूली के कथित प्रकटीकरण बयान अभियोजन के मामले में किसी काम के नहीं हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह नि:संकोच माना जाता है कि विद्वान निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं की सजा दर्ज करते समय खुद को गलत निर्देशित किया है।

(24) उपरोक्त कारणों के साथ-साथ मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि अभियोजन पक्ष किसी भी मकसद, अंतिम बार देखे गए साक्ष्य या किसी भी बरामदगी को साबित करने में विफल रहा है। इसी प्रकार, अत्यधिक लम्बी देरी भी अस्पष्ट बनी रही।

(25) अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भौतिक विवरणों पर अपना खंडन किया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में स्पष्ट विरोधाभासों और विसंगतियों ने अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर संदेह पैदा कर दिया है, जिसके कारण यह न्यायालय आश्वस्त है कि वर्तमान मामले की विशिष्ट तथ्य स्थिति में दोषसिद्धि को बरकरार रखना सुरक्षित नहीं है।

---

[2] (1995) सप्प (1) एस सी सी 80।

परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी करने का आदेश दिया जाता है।

(26) परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है। अपीलकर्ताओं को तुरंत स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है।

जे.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा